संख्या-178/2024/2168(1)/सैंतीस-2-2024/001-1(35)/2014टीसी1

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(अंकित विवरणानुसार),
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-19 दिसम्बर, 2024

विषयः- **आर.आई.डी.एफ.-29 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित 96 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-258/सा0-1/एक्स-120(188)/आर.आई.डी.एफ.-29/2023-24, दिनांक-14.10.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आर.आई.डी.एफ.-29 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित 96 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रू0-1634.56 लाख (रूपये सोलह करोड़ चौंतीस लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	पशुचिकित्सालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	बछरांव	धनौरा	अमरोहा	17.02
2	उझेरी	हसनपुर	अमरोहा	17.02
3	बानी	मवई	अयोध्या	17.02
4	हैरिंग्टनगंज	हरिंग्टनगंज	अयोध्या	17.02
5	पिलाना	पिलाना	बागपत	17.02
6	नगला ख्वाजा	छपरौली	बागपत	17.02
7	रेहड़ा बाजार	रेहरा बाजार	बलरामपुर	17.02
8	देवा	देवा	बाराबंकी	17.02
9	भमौरा	आलमपुर जाफराबाद	बरेली	17.02
10	धौराटाण्डा	भोजीपुरा	बरेली	17.02
11	कुआडंडा	कुआंडाण्डा	बरेली	17.02
12	मुंडेरवा	बनकटी	बस्ती	17.02
13	नन्दनगर	परशुरामपुर	बस्ती	17.02
14	रूदौली	रूधौली	बस्ती	17.02
15	सल्टौवा	सल्टौवा	बस्ती	17.02
16	धारूवाला	मो0पुर देवमल	बिजनौर	17.02
17	हल्दौर	हल्दौर	बिजनौर	17.02
18	जलीलपुर	जलीलपुर	बिजनौर	17.02
19	खुराहेड़ी	मो0पुर देवमल	बिजनौर	17.02
20	नगीना	कोतवाली	बिजनौर	17.02

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	नूरपुर	नूरपुर	बिजनौर	17.02
22	सेरकदा	धामपुर	बिजनौर	17.02
23	चकरघट्टा	नौगढ़	चन्दौली	17.02
24	सदर	सदर	चन्दौली	17.02
25	मालवां	मलवां	फतेहपुर	17.02
26	मुरादनगर	मुरादनगर	गाजियाबाद	17.02
27	बिर्नो	बिरनो	गाजीपुर	17.02
28	जमनिया	जमानियां	गाजीपुर	17.02
29	कासिमाबाद	कासिमाबाद	गाजीपुर	17.02
30	सैदपुर	सैदपुर	गाजीपुर	17.02
31	सावना	सैदपुर	गाजीपुर	17.02
32	ताजपुर	बाराचवर	गाजीपुर	17.02
33	बाभनजोत	बभनजोत	गोण्डा	17.03
34	पिपारी	नवाबगंज	गोण्डा	17.03
35	रमापुर	कटराबाजार	गोण्डा	17.03
36	रूपईडीहा	रूपईडीह	गोण्डा	17.03
37	सिधौती	बेलसर	गोण्डा	17.03
38	पिपराईच	पिपराईच	गोरखपुर	17.03
39	अहिरोरी	अहिरौरी	हरदोई	17.03
40	भारखानी	भरखनी	हरदोई	17.03
41	गौसगंज	कछौना	हरदोई	17.03
42	कोथावां	कोथावां	हरदोई	17.03
43	शाहाबाद	शाहाबाद	हरदोई	17.03
44	काल्पी	काल्पी	जालौन	17.03
45	सुईथाकलां	सुईथाकलां	जौनपुर	17.03
46	कल्यानपुर	कल्यानपुर	कानपुर नगर	17.03
47	नरवल	सरसौल	कानपुर नगर	17.03
48	कप्तानगंज	कप्तानगंज	कुशीनगर	17.03
49	रामकोला	रामकोला	कुशीनगर	17.03
50	तुर्कपट्टी	तमखुहीराज	कुशीनगर	17.03
51	विष्णुपुरा	विशुनपुरा	कुशीनगर	17.03
52	धानी	धानी	महराजगंज	17.03
53	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	महराजगंज	17.03
54	मिठौरा	मिठौरा	महराजगंज	17.03
55	निचलौल	निचलौल	महराजगंज	17.03
56	सदर	सदर	महराजगंज	17.03
57	भोजपुर	भगतपुर टॉण्डा	मुरादाबाद	17.03
58	चकफेरी	छजलैट	मुरादाबाद	17.03
59	कांठ	छजलैट	मुरादाबाद	17.03
60	कुंठरकी	कुन्दरकी	मुरादाबाद	17.03
61	नारायनपुर देवा	बिलारी	मुरादाबाद	17.03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

62	ठाकुरद्वारा	ठाकुरद्वारा	मुरादाबाद	17.03
63	चरथावल	चरथावल	मुजफ्फरनगर	17.03
64	बरखेड़ा	बरखेड़ा	पीलीभीत	17.03
65	बिलसण्डा	बिलसण्डा	पीलीभीत	17.03
66	बीसलपुर	बीसलपुर	पीलीभीत	17.03
67	गांधीनगर	पूरनपुर	पीलीभीत	17.03
68	मझोला	अमरिया	पीलीभीत	17.03
69	सदर	मरौरी	पीलीभीत	17.03
70	मानगढ़	बाबागंज	प्रतापगढ़	17.03
71	कोहडौर	मगरौरा	प्रतापगढ़	17.03
72	रामपुरबावली	रामपुर संग्रामगढ़	प्रतापगढ़	17.03
73	सरायनाहर राज	मान्धाता	प्रतापगढ़	17.03
74	विश्वनाथगंज	मान्धाता	प्रतापगढ़	17.03
75	बड़ौत	हण्डिया	प्रयागराज	17.03
76	धनूपुर	धनूपुर	प्रयागराज	17.03
77	हण्डिया	हण्डिया	प्रयागराज	17.03
78	लालापुर	शंकरगढ़	प्रयागराज	17.03
79	लालगोपालगंज	कौड़िहार	प्रयागराज	17.03
80	सहसों	सहसों	प्रयागराज	17.03
81	शुकुलपुर	मेजा	प्रयागराज	17.03
82	कटघर	डलमऊ	रायबरेली	17.03
83	बिलासपुर	बिलासपुर	रामपुर	17.03
84	सदर	चमरव्वा	रामपुर	17.03
85	कुसम्हा	बेलहरकलां	संत कबीर नगर	17.03
86	विसौवा	मेंहदावल	संत कबीर नगर	17.03
87	सदर	शामली	शामली	17.03
88	बराय जलालपुर	खैराबाद	सीतापुर	17.03
89	चांदपुर	रामपुर मथुरा	सीतापुर	17.03
90	महोली	महोली	सीतापुर	17.03
91	नेरी कलां	एलिया	सीतापुर	17.03
92	बिन्डमगंज	दुद्धी	सोनभद्र	17.03
93	बौरा जगदीशपुर	दोस्तपुर	सुल्तानपुर	17.03
94	कुदवार	कुड़वार	सुल्तानपुर	17.03
95	हसनगंज	हसनगंज	उन्नाव	17.03
96	मोहिद्दीनपुर	पुरवा	उन्नाव	17.03
योग-				**1634.56**

(रूपये सोलह करोड़ चौंतीस लाख छप्पन हजार मात्र)

(1) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(3) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(12) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अधीन जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,34,56,000 (रुपये सोलह करोड़ चौंतीस लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 4403001010800 पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जिला योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-219-X-2024-25, दिनाँक-17.12.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>पृ0सं0-178/2024/2168(2)/सैंतीस-2-2024/001-1(35)/2014टीसी1, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/कार्यदायी संस्था।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।